रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1523] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2006/पौष 5, 1928

No. 1523] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2006/PAUSA 5, 1928

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2148(अ).—रसायनिक हथियार समझौता अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुक्रम में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1490(अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2006 में शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना में मद संख्या 1 तथा उससे संबद्ध प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या तथा प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"1. श्री विजय शर्मा—अध्यक्ष"।

[सं. 40020/6/2005-रसा.-I]

के. सी. मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2006

S.O. 2148(E).—In pursuance of the provisions of Sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby amends the Notification Number S.O. 1490(E), dated 13th September, 2006 with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette namely :—

In the said Notification, for item Number 1 and the entry relating thereto the following item No. and entry shall be substituted, namely :—

"1. Shri Vijai Sharma—Chairperson".

[No. 40020/6/2005-Ch. I]

K. C. MISRA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.